गुवाहाटी, कलकत्ता, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर, अहमदाबाद और तिरुवन्त-पुरम में, इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में स्थित है।

(ख) भू-जल उपलब्धता और भू-जल गुणवत्ता के परिणामों को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा तैयार की गई जिला रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। ये रिपोर्टें जिला कलेक्टरों को प्रस्तुत की जाती हैं जो ऐसी रिपोर्ट की सूचना व जन-प्रयोग के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक में औपचारिक रूप से जारी करते हैं।

सिंचाई की समान दरें

3555. श्री शारदा महन्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में सिंचाई की दरों को समान बनाने और उनमें वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार प्रति एकड़ वार्षिक सिंचाई अधिभार निश्चित करने पर भी विचार कर रही है ताकि जल का समान वितरण सुनिश्चित किया जो सके और सिंचाई प्रशासन में विद्यमान भ्रष्टाचार को रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह व्यवस्था कब तक लागू हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) योजना आयोग ने सिंचाई जल मूल्य के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए अक्टूबर, 1991 में सिंचाई जल मूल्य पर एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ० ए० बैद्यनाथन हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की कुछ विशेषताओं में ये शामिल हैं; जल दरों को उपयोगकर्ता प्रभार मानना; जल प्रभार का उद्देश्य अंततः लागत वसूलना; सेवा की कोटि में सुधार को जल दरों के संशोधन के साथ सम्बद्ध करना; जलदरों का संशोधन तथा कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से करना; कृषक समूह प्रबंध की प्रणाली का समेकन; जल उपयोग तथा उत्पादकता में उच्च स्तरीय कुशलता के लिए प्रणाली को स्तरोन्नत करना; आवधिक पुनरीक्षा हेतु संचालन एवं रख-रखाव और प्रक्रिया के वास्ते मानदण्डों का पता लगाने के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दल का गठन; जल की लागत; जलदरों के संशोधन तथा न्यूनतम वित्तीय लाभ का मानदण्ड लागू करने के सम्बन्ध में नीति की पुनरीक्षा करने के वास्ते राज्य स्तर पर स्वायत्त निकायों की स्थापना। समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्यों को उनकी टिप्पणियों के वास्ते पहले ही भेजी जा चुकी हैं। समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिये आयोग ने इसी बीच अधिकारियों का एक दल गठित किया। "सिंचाई" राज्य का विषय होने के कारण, जलदरों पर निर्णय केवल राज्य सरकारों तथा "संघ राज्य क्षेत्रों" के परामर्श से ही किया जा सकता है।

देश की नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना

3556. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री वीरेन जे शाह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की नदियों को परस्पर एक-दूसरे के साथ जोड़ने की योजना को क्रियान्वित करने का निश्चय किया है ताकि इन नदियों के अतिरिक्त जल को सूखा क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;